भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2876

11 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

कर्नाटक में बंद की गईं खानें

2876. श्री ए॰ नारायण स्वामीः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान भारत के उच्चतम न्यायालय (एससी) के न्यायिक हस्तक्षेप के कारण कर्नाटक में बंद की गई खानों की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसी खानों को बंद करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा बताए गए कारण क्या हैं; और

(ग) खानों को इस प्रकार बंद किए जाने से रोकने हेतु केन्द्र द्वारा प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा, यदि कोई हो तो क्या है?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक हस्तक्षेप के कारण कर्नाटक राज्य में कोई खान बंद नहीं की गई है।

(ख) एवं (ग) : उक्त मद (क) में प्रस्तुत उत्तर के मद्देनज़र कोई प्रश्न नहीं उठता।

*****